(67) 70 62A

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ई–टेण्डरिंग / बी / 19 / 2009 / भोपाल, दिनांक 3.05.2012

–:आदेश:–

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 569 / बी–19 / ई–टेण्डरिंग / 695 भोपाल, दिनांक 08.04.2010 द्वारा विभाग में रूपये 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के कार्यो की निविदायें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

एतद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में निर्धारित रूपये 10.00 लाख या उससे अधिक की सीमा को समाप्त करते हुए अब लोक निर्माण विभाग में आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदायें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जावें। उक्त आदेश निम्न शर्तो के अध्याधीन रहेंगें:–

1. राष्ट्रीय राजमार्गो की निविदाऐं आमंत्रित करते समय भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आर0डब्ल्यू0 / एन0एच–12014 / 2 / 2011–एम0पी0 / पी0–5 नई दिल्ली दिनांक 29.03.2012 में ई–टेण्डरिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
2. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में आमंत्रित की निविदाऐं जिनमें पी0क्यू0 लागू न हो उन्हें ई–टेण्डरिंग पद्धति से आमंत्रित किया जावें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
3/5/12
(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक ई–टेण्डरिंग / बी / 19 / 2009 / 443 भोपाल, दिनांक 3.05.2012
प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म0प्र0 शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय।
4. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
6. समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग म0प्र0।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग म0प्र0।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग म0प्र0।

3/5/12
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग